File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 2004/आषाढ़ 26, 1926
No. 129] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17, 2004/ASADHA 26, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

(स्वायत्त निकाय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में उप निदेशक (प्रशिक्षण) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है।

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.—कोई व्यक्ति,**—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के उप निदेशक (प्रशिक्षण) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
उप निदेशक (प्रशिक्षण)	3	समूह 'क'	रूपये 10,000-325-15,000	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	अनिवार्य i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय य से समाज कार्य या समाज विज्ञान या अपराध-विज्ञान या सामाजिक मानव-विज्ञान में मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक। ii) शिक्षण में या समाज रक्षा या सम्बद्ध विषयों या कुल मिलाकर दोनों के क्षेत्र में अनुसंधान का 5 वर्ष का अनुभव (शिक्षण अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी)। वांछनीय: समाज कार्य में पीएचडी.	नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए, है
10	11	12	13
i) पदोन्नति द्वारा 50% अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित)/विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ii) सीधी भर्ती द्वारा 50%	पदोन्नतिः अनुसंधान अधिकारी/प्राध्यापक जिन्होंने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों /तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों के अधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदधारी अधिकारी या क्रमशः रूपये 8000-13000 तथा रूपये 6500-10,500 या समकक्ष के वेतनमान वालों में 5 और 8 वर्षों की सेवा या कालम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधि: 1+2 वर्ष	1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 3. सदस्य (वित्त)(कार्य परिषद) 4. विश्वविद्यालय विभाग समाज कार्य स्कूल-सदस्य 5. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो उप सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL DEFENCE
(Autonomous Body)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dy. Director (Training) in the National Institute of Social Defence are laid down :—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The number of posts, classification and scale of pay .**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**— The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule .

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Training)

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director (Training)	3	Group'A'	Rs.10000-325-15200	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.	**Essential** i) Atleast 50% Marks in Master's degree in Social Work or Sociology or Criminology or Social Anthropology from a recognised University or equivalent. ii) 5 years' experience In teaching or research in the field of Social Defence or allied subjects or in both in total(preference will be given to candidates with teaching experience) **Desirable**: Phd in Social Work	No	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation(including short term contract) / absorption and failing both by direct recruitment. ii) 50% by direct recruitment.	**Promotion:** Research Officer/Lecturer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation (including short term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments, Universities/and recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings autonomous/statutory bodies holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department or with 5 and 8 years' service in posts in the scales of Rs.8000-13500/Rs.6500-10500 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Period of deputation 1+2 years	1. NISD- Chairman (Executive Council) 2.Member (Finance) (Executive Council) 3. Member Secretary (Executive Council) 4. Expert from University Department School of Social Work - Member 5. Members SC/ST to be nominated by the Ministry not below the rank of Dy. Secretary.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./166/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं.56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में उप निदेशक (अनुसंधान) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.—कोई व्यक्ति,—**

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के उप निदेशक (अनुसंधान) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
उप निदेशक अनुसंधान	1	समूह ' क '	रू0 10,000-325-15,200	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	अनिवार्य:- i) अपराध विज्ञान या सुधारक कार्य में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या समकक्ष से समाज कार्य या समाज विज्ञान या अपराध विज्ञान या सामाजिक मानव-विज्ञान में मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान या समकक्ष से डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 50% अंक या अपराध विज्ञान या सुधारक कार्य में डिप्लोमा । ii) समाज रक्षा या सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुसंधान या अन्वेषण अनुभव ।	आयु:- नहीं शैक्षिक अर्हता:- हाँ	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा 50% अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः- अनुसंधान अधिकारी/प्राध्यापक/प्रलेखन अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित) / विलयन केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रू0 8000-13000/रू0 6500-10500 या समकक्ष के वेतनमान में 5/8 वर्षों की सेवा के तथा कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधिः- 1+2 वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:- 1.राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान- अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य (वित्त) (कार्य परिषद) 3. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 4. विश्वविद्यालय विभागों/समाज कार्य स्कूल से विशेषज्ञ (सदस्य) 5. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो उप सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dy. Director (Research) in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age Limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backwards Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2209 GI/2004—2

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Research)

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Deputy Director (Research)	1	Group'A'	Rs.10000-325-15200	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential** i) At least 50% Marks in Master's degree in Social Work or Sociology or Criminology or Social Anthropology of a recognised University or equivalent with specialisation in Criminology or Correctional Work. **OR** At least 50% Marks in degree and a post-graduate degree or diploma in Criminology or Correctional work, of a recognized University or Institution or equivalent. ii) 5 years' research or Investigation experience in the field of Social Defence or allied subjects.	Age: No Educational Qualification: **Yes**	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) By promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract)/ absorption and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Research Officer/Lecturer/Documentation Officer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation (including short-term contract)/absorption:** Officers under the Central Government or State Governments, Universities/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies and recognized Research Institutions, holding analogous post on regular basis or with 5/8 years' service in the pay scales of Rs8000-13500/6500-10500 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Period of deputation : 1+2 years.	**Departmental Promotion Committee** consisting of 1. NISD- Chairman (Executive Council) 2. Member (Finance) (Executive Council) 3. Member Secretary (Executive Council) 4. Expert from University Departments/ School of Social Work(Member) 5. Member SC/ST to be nominated by Ministry not below the rank of Dy. Secy.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.

[ADVT-3/4/Exty./186/04]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उप-धारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में प्रशासन अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रशासन अधिकारी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
प्रशासन अधिकारी	1	समूह 'क'	रु0 10,000-325-15,200	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नही	लागू नही	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विधमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयन/संविदा आधार पर ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन** केन्द्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों के अधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रु0 8000-275-13,500/रु0 6500-200-10,500 या समकक्ष के वेतनमान में 5/8 वर्षों की सेवा के तथा जिन्हें प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी मामलों में अनुभव हो ।	1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य (वित्त) कार्य परिषद 3. सदस्य सचिव - कार्य परिषद 4. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाला अ.जा./अ.ज.जा. का व्यक्ति को अवर सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age Limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for sc doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backwards Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Administrative Officer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Administrative Officer	1	Group-A	Rs.10000-325-15200

Dy. Direc (admn)

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion / Selection Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By transfer on deputation (including short term contract)/absorption/contract basis	**Transfer on deputation**(including short term contract)/**absorption/** Officers under the Central or State Government/Public Sector Undertakings, autonomous/ statutory bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with atleast 5/8 years service in posts in the Pay scale of Rs. 8000-275-13500/Rs.6500-200-10500 or equivalent respectively and having experience in administration, establishment and accounts matters. Period of deputation : 1+2 years.	1. NISD- Chairman (Executive Council) 2. Member (Finance) (Executive Council) 3. Member Secretary (Executive Council) 4. Member SC/ST to be nominated by the Ministry not below the rank of US.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उप-धारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में प्राध्यापक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है।

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्राध्यापक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
प्राध्यापक	4	समूह 'क'	रूपये 8000-275-13,500	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो
6	7	8	9
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	अनिवार्य i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से समाज कार्य या समाज विज्ञान/मनोविज्ञान अपराध-विज्ञान मे मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक । ii) संबंधित क्षेत्र/विषय में शिक्षण का 3 वर्ष का अनुभव, वांछनीय: समाज कार्य में पीएचडी. 1. नशीली दवा दुरूपयोग/बाल संरक्षण, वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्र में शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव । 2. किसी विख्यात संस्था में अभ्यर्थी को पर्याप्त क्षेत्र अनुभव होना चाहिए । 3. प्रकाशन कार्य के साथ उपयुक्त प्रकाशन अनुभव वाला अभ्यर्थी नशीली दवा दुरूपयोग निवारण में प्राध्यापक के लिए अनुभव: नशीली दवा के व्यसनियों के परामर्श/मार्गदर्शन/पुनर्वास/पुनर्वास में अनुभव	नहीं	2 वर्ष

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
i) पदोन्नति द्वारा 50% अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित)/विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नतिः कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रूपये 6500- रू. 13000/रूपये 5500-9,000 के वेतनमान या समकक्ष के पदों में 5 और 8 वर्षों की सेवा या कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों। प्रतिनियुक्ति की अवधिः 1+2 वर्ष	1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 3. विश्वविद्यालय विभाग/समाज कार्य स्कूल से विशेषज्ञ - सदस्य 4. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो अवर सचिव के स्तर से कम का न हो।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lecturer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Lecturer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Lecturer	4*	Group 'A'	Rs.8000-275-13500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential** i) 50% Marks in Master's degree in Social Work/Sociology/Psychology/ Criminology from a recognized university or equivalent. ii) 3 years'of teaching experience in the relevant field/subject. **Desirable:** 1. Experience of Teaching or Research in the area of Drug Abuse/Child Protection, old age care. 2. The candidate should have sufficient field experience in an institution of repute. 3. Candidate with suitable publication experience with published work. **Experience for Lecturer in Drug Abuse Prevention** Experience in counselling/ Guidance/rehabilitation of Drug Adicts	No	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
i) 50% by promotion, 50% by transfer on deputation(including short term contract) / absorption and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Research Officer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation (including short term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments, Universities/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies and recognized Research Institutions, holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department or with 5/8 years' service in posts in the scales of Rs.6500-10500/5500-9000 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Period of deputation : 1+2 years.	1. NISD- Chairman (Executive Council) 2. Member Secretary (Executive Council) 3. Expert from University Departments/ School of Social Work – Member 4. Members SC/ST to be nominated by the Ministry not below the rank of US	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में तकनीकी अधिकारी (मीडिया) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है।

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के तकनीकी अधिकारी (मीडिया) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
तकनीकी अधिकारी (मीडिया)	1	समूह 'क'	रू0 8000-275-13,500	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम,1972 के नियम 30 के तहत जोड़े गए वर्षों की सेवा का लाभ स्वीकार्य है ।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6.	7.	8.	9.	10.
35 वर्ष से अधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) ।	नहीं	अनिवार्यः 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री, 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार में डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा, 3. पत्रकारिता में या जन संचार के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव वांछनीयः प्रचार के लिए सामाजिक मुद्दों पर सामग्री की आयोजना/तैयार करना/प्रस्तुतीकरण ।	लागू नहीं	3 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) / विलयन द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन: केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविधलयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो क (i) नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर हों या (ii) रू0 6500-10,500 के वेतनमान में या समकक्ष पदों में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों या (iii) रू0 5500-9000 के वेतनमान में या समकक्ष पदों में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा (ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हों ।	1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान कार्य परिषद 2. सदस्य सचिव 3. विश्वविधालय विभाग/समाज कार्य स्कूल का विशेषज्ञ 4. मंत्रालय द्वारा नामित (अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित) सदस्य जिनका स्तर अवर सचिव से कम का न हों ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Media) in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the ppsts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons In accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Technical Officer(Media)

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Technical Officer (Media)	1	Group 'A'	Rs.8000-275-13500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
6	7	8	9
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years.	No	Essential i) Degree of a recognized university or equivalent; ii)Degree or equivalent diploma in Journalism/Mass Communication from a recognised University or institute. iii) 3 years experience in Journalism or in the field of Mass Communication. Desirable: Experience in Planning/Preparation/ Production of materials on Social Issues for Publicity.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
2 years	By transfer on deputation (including short term contract)/Absorption failing which by Direct Recruit.	Transfer on deputation including short term contract)/Absorption. Officers under the Central Govts./State Govts./Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertakings/Semi Govts./Autonomous or Statutory Organisations:- (a)(i) Holding Analogous posts on regular basis or ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs.6,500-10,500 or equivalent or iii) with 5 years regular service in the posts in the scale of Rs.5500-9000 or equivalent and (b)Possessing the educational qualification & experience prescribed for direct recruitment under column 8.	1. NISD- Chairman (Executive Council) 2. Member Secretary (Executive Council) 3. Expert from University Departments/ School of Social Work 4. Members- (Belong to SC/ST Community) nominated by the Ministry not below the rank of U/S.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.

[ADVT-3/4/Exty./185/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में प्रलेखन अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है।

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रलेखन अधिकारी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
प्रलेखन अधिकारी	1	समूह 'क'	रू0 8,000-275-13,500	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत जोड़े गए वर्षों की सेवा लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	हाँ	अनिवार्य:- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मास्टर डिग्री ii) प्रकाशन के अनुभव सहित अनुसंधान एवं प्रलेखन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव iii) अभ्यर्थी को जनसंचार माध्यम का व्यापक कामकाजी अनुभव होना चाहिए । वांछनीय: i) कंप्यूटर डेस्क टॉप पब्लिशिंग में पर्याप्त ज्ञान ii) समाचार बुलेटिन, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन का अनुभव	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 1 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13	14
पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः- प्रकाशन सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित) / विलयनः- केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रूपये 5500-9000 के वेतनमान में 5 वर्षों की सेवा के तथा कालम 8 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों ।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) 1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान- अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 3. विश्वविद्यालय विभागों/समाज कार्य स्कूल से विशेषज्ञ (सदस्य) 4. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो उप सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Documentation Officer in the National Institute of Social Defence are laid down :—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule .

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Documentation Officer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Documentation Officer	1	Group 'A'	Rs. 8000-275-13500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification is prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	Yes	**Essential** i) Master's Degree of a recognized University or equivalent; (ii) 3 years experience in the field of Research and documentation with publishing experience. iii) Candidate should have wide working experience with Mass Media. **Desirable** (i) Adequate knowledge in computer Desk Top Publishing. (ii) Experience Publishing, News Bulletin, Journals etc.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
1 year for direct recruits	By promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract)/absorption and failing both by direct recruitment.	Promotion Publication Assistant with 5 years service in the grade after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short term contract)/ absorption: officers under the Central Govt./State Govts., University, Pubic Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies, recognized Research Institution holding analogous post on regular basis or with 5 years service in pay scale of Rs.5500-9000 or equivalent with qualification/experience as prescribed in Col.8.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) 1. NISD- Chairman (Executive Council) 2. Member Secretary (Executive Council) 3. Expert from University Departments/ School of Social Work - Member 4. Member SC/ST to be nominated by the Ministry not below the rank of US	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]
Member Secretary

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में अनुसंधान अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के अनुसंधान अधिकारी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
अनुसंधान अधिकारी	1	समूह ' क '	रु0 8,000-275-13,500	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	अनिवार्य:- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से समाज कार्य/समाज विज्ञान/अपराध विज्ञान में मास्टर डिग्री में 50% अंक । ii) संबंधित क्षेत्र/विषय में 5 वर्ष का अनुसंधान अनुभव ।	नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः- कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिसने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित) / विलयन** केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, **विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रू0 8000-13000/रू0 6500-10500 या समकक्ष के वेतनमान में 5/8 वर्षों की सेवा के तथा कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधिः- 1+ 2 वर्ष**	1. राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान- अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य (वित्त) (कार्य परिषद) 3. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 4. विश्वविधालय विभागों/समाज कार्य स्कूल से विशेषज्ञ (सदस्य) 5. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो उप सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2209 GI/2004—5

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Research Officer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Research Officer	1	Group'A'	Rs. 8000-275-13500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential** i) 50% Marks in Master's Degree in Social Work/Sociology/Psychology/Criminology from a recognized University or equivalent. (ii) 3 years' research experience in the relevant field/subject	No	2 Years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By Promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract)/absorption and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Research Officer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation (including short-term contract)/absorption:** Officers under the Central Government or State Governments, Universities/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies and recognized Research Institutions, holding analogous post on regular basis or with 5/8 years' service in the pay scales of Rs. 6500-10500/5500-9000 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Period of deputation : 1+2 years.	1. NISD- Chairman (Executive Council) Or His representative not less than JS rank 2. Member Secretary (Executive Council) 3 Expert from University Departments/ School of Social Work Member 4 Members SC/ST to be Nominated by the Ministry not below the rank of US	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	3	समूह 'ख'	रुपये 6500-200-10,500	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम,1972 के नियम 30 के तहत जोड़े गए वर्षों की सेवा का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
35 वर्ष से अधिक नहीं. (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	नहीं	अनिवार्य: i) किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से समाज कार्य या समाज विज्ञान या अपराध विज्ञान या समाज मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक ii) समाज रक्षा के क्षेत्र या सम्बद्ध विषयों में 3 वर्ष का अनुसंधान या अन्वेषण अनुभव।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13	14
i) पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित)/विलयन द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः अनुसंधान सहायक/तकनीकी सहायक जिन्होने ग्रेड में /रू0 5500-9000/रू0 5000-8000 के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात 3/5 वर्ष की नियमित आधार पर सेवा पूर्ण कर ली हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/विलयनः केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों सार्वजनिक निकायों के अंतर्गत मूल संवर्ग /विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या रू0 5500-9,000 के वेतनमान या समकक्ष में जिन्होनें पदों में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा जो कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं अनुभव प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधिः 1+2 वर्ष	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. सदस्य सचिव (कार्य परिषद) 3. विश्वविद्यालय विभाग/समाज कार्य स्कूल से विशेषज्ञ - सदस्य 4. मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो अवर सचिव के स्तर से कम का न हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Research Officer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**— The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule .

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post .

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Research Officer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post
1	2	3	4	5
Junior Research Officer	3	Group'B'	Rs. 6500-200-10500	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
6	7	8	9
Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	No	**Essential** i) At least a 50% marks in Master's Degree in Social Work or Sociology or Criminology or Social Anthropology of a recognized University or equivalent ii) 3 years' research or investigation experience in the field of Social Defence or allied subjects.	Age: No Educational Qualification: Yes

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
2 years	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract)/ absorption and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Research Asstt/Technical Asstt. with 3/5 years' service in the grade / pay scale of Rs. 5500-9000/Rs. 5000-8000 rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation/ Absorption** Officers under the Central Government, failing which under the State Governments, Universities and Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department, or with 5 years' service in posts in the scale of Rs.5500-9000 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in Column 8. Period of deputation : 1+2 years.	1.Member Secretary-Chairman (Executive Council) 2.HOD(T)- Member (Executive Council) 3. Expert from University Departments/ School of Social Work-Member 4. Members SC/ST to be nominated by the Ministry- Member not below the rank of US.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Extv./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	समूह 'ख'	रू0 6500-200-10,500	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	कंप्यूटर ज्ञान सहित द्वितीय श्रेणी वाणिज्य स्नातक	नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विधमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा अन्यथा जहां तक संभव हो प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयन द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नतिः- लेखाकार जिसे रू0 5500-175-9000 के वेतनमान में पांच वर्ष का अनुभव हो या कार्यालय अधीक्षक जिसे रू0 5000-150-8000 के वेतनमान में कंप्यूटर ज्ञान सहित प्रशासन और लेखा कार्य में 8 वर्ष का अनुभव हो । उस अधिकारी को तरजीह दी जाएगी जिसने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समकक्ष में रोकड़ तथा लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयनः केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त/सांविधिक निकायों के मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या संगठित विभाग या समकक्ष में पदों में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो तथा प्रशासन और लेखा का अनुभव हो । अथवा संगठित लेखें में रू0 5000-150-9000 के वेतनमान में न्यूनतम 5 वर्ष सेवा की हो तथा जिसने कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा या समकक्ष अर्हता प्राप्त कर ली हो और जिसे प्रशासन तथा लेखा का अनुभव हो । प्रतिनियुक्ति अवधिः- 1+ 2 वर्ष ।	समूह - ख विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगेः 1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Jr. Accounts Officer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**— The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Jr. Accounts Officer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Jr. Accounts Officer	1	Group-B	Rs.6500-200-10500

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	2nd Class Commerce Graduate with computer knowledge	No	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By promotion failing which by deputation (including short term contract)/ absorption as far as possible failing both by direct recruitment.	<u>Promotion:</u> Accountant with5 years experience in the Pay Scale of Rs.5500-175-9000 or Office Supdt. with 8 years experience in the Pay Scale of Rs.5000-150-8000 in Administration & Accounts work with the knowledge of computer. Preference will be given to the officer who have undergone in training in Cash & Accounts work in the Institute of Secretariat Training & Management or equivalent. **<u>Transfer on deputation(including short term contract)/ absorption:</u>** Officers of the Central Government/State Govt./Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with at least 5 years' service in posts in organized department or equivalent and having experience in Administration & Accounts. OR With atleast 5 years' service in the scale of Rs.5500-150-9000 in organized accounts and who have qualified (JAO exam) or equivalent and having experience in Administration & Accounts. Period of deputation : 1+2 years.	Group-B Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Director, National Institute of Social Defence- Chairman. 2. Dy. Director (Trg)- Member 3.Administrative Officer- Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में अनुसंधान सहायक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के अनुसंधान सहायक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
अनुसंधान सहायक	4	समूह 'ग'	रू0 5500-175-9,000	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की लिए अंतिम तिथि होगी।	अनिवार्य i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से समाज कार्य या समाज विज्ञान में या समाज अपराध-विज्ञान में मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक। ii) समाज रक्षा या सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुसंधान अन्वेषण अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।	नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
ii) सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा 50% अन्यथा अल्पवधि संविदा/ प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पवधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः तकनीकी सहायक जिन्होने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें, विश्वविधालयों/तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/ सांवधिक निकायों के अधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अधिकारी पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रू0 5000-9000 रू04500-7,000 के वेतनमान या समकक्ष के पदों में 5 और 8 वर्षों की सेवा वालों तथा कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हो । प्रतिनियुक्ति की अवधिः 1+2 वर्ष	1. सदस्य सचिव - अध्यक्ष (कार्य परिषद) 2. उप निदेशक (अनुसंधान) सदस्य 3. प्राध्यापक/प्रलेखन अधिकारी - सदस्य 4. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant in the National Institute of Social Defence are laid down.—

1. Short Title and commencement.—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice and Empowerment Recruitment Rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. The Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, eto.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the autonomous body is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Research Assistant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Research Assistant	4	Group-B	Rs.5500-175-9000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential:-** i) At least 50% marks in Master's degree in Social Work Sociology or Criminology or Social Anthropology from a recognized University or equivalent. ii) 2 years' research investigation experience in the field of Social Defence or allied subjects. **Desirable:** Working knowledge with computer.	No	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
50% by direct recruitment 50% by promotion failing which by transfer on deputation including short term contract/ absorption failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Technical Assistants with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government, failing which under the State Governments, Universities and Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with 5/8 years' service in posts in the scale of Rs.5500-9000/Rs.4500-7000 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in Column 7. **Period of deputation : 1+2 years.**	1.Member Secretary-Chairman (Executive Council) 2.Deputy Director (Research)- Member 3. Lecturer/ Documentation officer-Member 4. Administrative Officer - Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

2209 GI/2004—7

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 को डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में लेखाकार पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के लेखाकार के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
लेखाकार	1	समूह 'ख'	रू0 5500-175-9,000	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयन द्वारा ।	पदोन्नतिः- कार्यालय अधीक्षक जिसे रु0 5000-175-9000 के वेतनमान में 3 वर्ष का अनुभव हो जिसने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समकक्ष से रोकड़ तथा लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । (रोकड़ और लेखा कार्य में 3 वर्ष के अनुभव सहित) अथवा उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में (रोकड़ और लेखा कार्य में 3 वर्ष के अनुभव सहित) रूपये 4000-100-6000 के वेतनमान में 8 वर्ष का अनुभव हो और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान संस्थान या समकक्ष में रोकड़ और लेखे में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयनः अथवा किसी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय डाक और तार वित्त एवं लेखा विभाग से एस.ए.एस. लेखाकार या एस.ए.एस. उत्तीर्ण लिपिक पदों के अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़ और लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव हो । प्रतिनियुक्ति अवधिः- 1 + 2 वर्ष	समूह - ख विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगेः 1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान-अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Accountant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Accountant	1	Group-B	Rs.5500-175-9000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Depart mental Promotion Committee exists, what is it com- position	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
Promotion failing which by deputation(including short term contract)/ absorption	Promotion: Office Supdt. with 3 years service in the pay scale of Rs.5000-150-8000 who has undergone training in cash & Accounts from the Institute of Secretariat Training & Management or equivalent (including 3 years experience in Cash & Accounts Work) OR 8 years service as UDC (including 3 years experience in Cash & Accounts Work) in the pay scale of Rs.4000-100-6000 who have undergone training in cash & Accounts from the Institute of Secretariat Training & Management or equivalent. **Transfer on deputation(including short term contract)/ absorption** : Officers of the rank of SAS Accountant or SAS passed clerks from any of the organized Accounts Departments, namely Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Deptt, Indian Railway Accounts Department, Indian Posts and Telegraph Finance and Accounts Department OR Assistants of the Central Secretariat Service who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management with three years' experience in cash and accounts work. Period of deputation : 1+2 years.	Group-B Departmental Promotion Committee consisting of: 1. Director, National Institute of Social Defence- Chairman. 2. Dy. Director (Trg)- Member 3.Administrative Officer- Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में प्रकाशन सहायक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रकाशन सहायक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
प्रकाशन सहायक	1	समूह 'क'	रू0 5500-175-9000	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	अनिवार्य:- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री। ii) प्रकाशन कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- i) पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा। ii) समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रकाशन कार्य का अनुभव। iii) डेस्क टॉप प्रकाशन सहित कंप्यूटर प्रणाली का ज्ञान।	लागू नहीं	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विधमान है तो इसके गठन का स्वरुप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयनः- केन्द्र सरकार अन्यथा राज्य सरकार, विश्वविधालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों के आधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या रू0 5000-150-8000 के वेतनमान या समकक्ष के पदों में 5 वर्षों की सेवा के तथा कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों। प्रतिनियुक्ति की अवधिः- 1+ 2 वर्ष	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशिक्षण)सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य सचिव	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Publication Assistant** in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Publication Assistant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Publication Asstt.	1	Group-B	Rs.5500-175-9000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	Essential :- i) Degree of a recognized University or equivalent. (ii)3 years' experience in handling publication work. Desirable: i) Degree or Diploma in Journalism ii) Experience of publication work in the field of Social Defence. iii)Knowledge of computer system with Desk Top Publication.	Not applicable	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
(i) By transfer on deputation (including short term contract)/ absorption failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation (including short-term contract)/absorption:** Officers under the Central government, failing which State Governments, Universities and Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies, holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with 5 years' service in' posts in the scale of Rs. 5000-150-8000 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Period of deputation : 1+2 years.	1. Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Deputy Director (Trg.)-Member 3. Administrative Officer- Member Secretary	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 को डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	1	समूह 'ख'	रू0 5500-175-9000	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	i) समाज विज्ञान के एक विषय सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष। ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक।	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य सचिव	लागू नहीं

एस० के० देव बर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—in exercise of the powers conferred by clause 4 of sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice and Empowermeht vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and Commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous Body) Ministry of Social Justice and Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, Age Limit, Qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autohomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backwards Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Library cum Information Assistant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Library and Information Assistant	I	Group-B	Rs.5500-175-9000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Not applicable	Not exceeding 28 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	(i) A degree of a recognized University with a Social Science subject or equivalent. (ii)Bachelor in Library Science from a recognized University or equivalent.	Not applicable	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By direct recruitment.	Not Applicable	Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Dy. Director (Trg)-Member 3. Administrative Officer- Member Secretary	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में तकनीशियन (फिल्म) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के तकनीशियन (फिल्म) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
तकनीशियन (फिल्म)	1	समूह 'ख'	रु0 5500-175-9000	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
28 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/संस्थान या समकक्ष से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रिकल संप्रेषण/फोटोग्राफी/सिनेमाटोग्राफी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। वांछनीयः- दृश्य-श्रव्य उपकरण/क्षेत्र प्रचार में 3 वर्ष का अनुभव	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य सचिव	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub- section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (Film) in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. Short Title and commencement.—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. The Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Technician (Film)

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Technician (Films)	1	Group-B	Rs.5500-175-9000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Not applicable	Not exceeding 28 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	3 year diploma in Electrical/electronics/Electrical Communication/ Photography/Cinematography from a recognized University/Institution or equivalent. **Desirable:** 3 years' experience in Audio-Visual equipment/field publicity.	Not applicable	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of the Selection Committee	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
Direct recruitment	Not Applicable	Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Dy. Director (Trg)-Member 3. Administrative Officer- Member Secretary	Not applicable

DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में तकनीकी सहायक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग** :—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के तकनीकी सहायक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
तकनीकी सहायक	3	समूह 'ग'	रु05000-150-8,000	चयनेतर

सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणीः आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	अनिवार्यः- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से समाज कार्य या समाज विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या समकक्ष से डिग्री तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव हो । वांछनीयः कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा अन्यथा पदोन्नति पर स्थानांतरण(अल्पवधि/ संविदा सहित/ विलयन द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नतिः कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) विलयनः केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों/तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त/ सांविधिक निकायों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अधिकारी पर सदृश पदधारी अधिकारी या क्रमशः रु0 4000-6000 के वेतनमान में 5 और 8 वर्षों की सेवा वालों और कालम 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधिः 1+2 वर्ष	1. निदेशक राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान अध्यक्ष 2. उप निदेशक सदस्य (प्रशिक्षण) 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो प्राध्यापक के स्तर से कम का न हो । 4. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Technical Assistant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Technical Asstt.	3	Group-C	Rs. 5000-150-8000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Non Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential:-** i) Master's degree in Social Science subject of a recognized University or equivalent. OR A degree of a recognized University with a Social Science subject or equivalent and possessing 3 years' experience in the field of Social Defence. **Desirable:** Working knowledge with computer.	No	2 years for direct recruitment

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By promotion failing which by transfer on deputation/absorption (including short term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion: Junior Technical Assistants with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on deputation(including short term contract) absorption:** Officers under the Central Government or State Governments, Universities/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies and recognized Research Institutions, holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department or with at least 5 years' service in the pay scale of Rs.4000-6000 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. **Period of deputation : 1+2 years**	1. Director- NISD Chairman 2. Dy. Director (Trg.) Member 3. Member belonging to (SC/ST/OBC) nominated by Director not below the rank of Lecturer 4. Administrative Officer - Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कार्यालय अधीक्षक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के कार्यालय अधीक्षक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
कार्यालय अधीक्षक	1	समूह 'ग'	रु0 5000-150-8,000	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नतिः- संस्थान में उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड से पदोन्नति जिनकी न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Office Supterintendent

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Office Superintendent	1	Group-C	Rs.5000-150-8000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not aplicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By promotion	Promotion: Promotion from the grade of Upper Division Clerk in the Institute having a minimum of 5 years regular service.	1. Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Dy. Director(Trg)-Member 3. Administrative Officer- Member Secretary	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में आशुलिपिक ग्रेड-2 पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह एस व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के आशुलिपिक ग्रेड-2 के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
आशुलिपिक ग्रेड-2	1	समूह 'ग'	रू0 5000-150-8000	चयनेतर

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6.	7.	8.	9.
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । टिप्पणीः आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण या समकक्ष । अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । कंप्यूटर में प्रवीणता ।	नहीं	नहीं

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	विभागीय पदोन्नति चयन समिति विधमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
1. पदोन्नति द्वारा 100% जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा 2. दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति आशुलिपि ग्रेड-3 जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/विलयनः केन्द्र या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत/सांविधिक निकायों के मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी या आशुलिपि ग्रेड-3 के रूप में रू0 4000-100-6000 के वेतनमान या समकक्ष में जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति की अवधिः 1+2 वर्ष	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. प्रशासन अधिकारी सदस्य सचिव 2. उपनिदेशक (प्रशिक्षण) सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव बर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Gr. II in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Stenographer Gr.II

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Stenographer Gr.II	1	Group-C	Rs.5000-150-8000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Non Selection	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.	Higher Secondary passed or equivalent Speed of 100 w.p.m. in Shorthand & 40 w.p.m. in Typing in English/ Hindi. Proficiency in computer.	No	No

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
1. 100% by promotion, failing which by transfer on deputation(including short term contract)/ absorption 2. Failing both by direct recruitment.	<u>Promotion</u> Stenographer Grade III with minimum 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. <u>Transfer on deputation:/Absorption:-</u> Officers under the Central or State Governments/State Governments/Union Territory, Public Sector Undertaking, autonomous/statutory bodies holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or with 5 years service as Stenographer Gr.III in the pay scale of Rs.4000-100-6000 or equivalent Period of deputation : 1+2 years.	1. Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Administrative Officer- Member Secretary 3. Dy. Director(T)-Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

2209 GI/2004—11

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	4	समूह 'ग'	रू04000-100-6,000	चयनेतर

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से समाज विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से समाज विज्ञान विषय में डिग्री तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव हो ।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसके चयन का स्वरूप क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा 75% सीधी भर्ती द्वारा 25%	पदोन्नति: कनिष्ठ कंप्यूटर जिसने ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा कर ली हो ।	1. उप निदेशक - अध्यक्ष 2. प्राध्यापक - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Central Govt., vide Ministry of Social Justice & Empowerment letter No. 10/11/98-SD dated 26-3-2002, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Asstt. in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Technical Assistant

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Junior Technical Assistant	4	Group-C	Rs.4000-100-6000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Non selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	Master's degree in a Social Science subject of a recognized University or equivalent. OR (i) A degree with a Social Science subject of a recognized University or equivalent. (ii) 3 year's experience in the field of Social Defence.	No	2 years for direct recruitment

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
75% By promotion. 25% by Direct Recruitment.	Promotion: Junior Computer with 3 year's service in the grade.	1. Dy. Director-Chairman 2. Lecturer-Member 3. Administrative Officer- Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में उच्च श्रेणी लिपिक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.—कोई** व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के उच्च श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
उच्च श्रेणी लिपिक	3.	समूह 'ग'	रु0 4000-100-6000	चयनेतर

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन द्वारा ।	पदोन्नति संस्थान में अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड से जिसने इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /विलयन केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों के अधिकारी, जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित हों या जिन्होंने इस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् रूपये 3050-4500 के वेतनमान में नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा कर ली हो । प्रतिनियुक्ति अवधि:- 1+2 वर्ष ।	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Upper Division Clerk

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Upper Division Clerk	3	Group-C	Rs.4000-100-6000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract)/ absorption	Promotion From the grade of Lower Division Clerks in the Institute with at least 5 years' regular service in the grade. **Transfer on deputation(including short term contract)/absorption:** Officers of the Central/State Governments/Public Sector Undertakings, automous/statutory bodies 2 holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or with 5 years service in the grade rendered after the appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs.3050-4500 Period of deputation : 1+2 years.	2 Director, National Institute of Social Defence- Chairman 2. Dy. Director(Trg) Member 3. Adinistra-tive Officer-Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

2209 GI/2004—12

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 को डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में आशुलिपिक ग्रेड-3 पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के आशुलिपिक ग्रेड-3 के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
आशुलिपिक ग्रेड-3	5.	समूह 'ग'	रू0 4000-100-6000	चयनेतर

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण या समकक्ष । अंग्रजी/हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । कंप्यूटर में प्रवीणता ।	हां	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
i) पदोन्नति द्वारा 25% तथा ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयन द्वारा 75% iii) इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा के अवर श्रेणी लिपिक और जिनमें निम्नलिखित अर्हताएं हो:- अनिवार्य:- अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति और कंप्यूटर में प्रवीणता । वांछनीय:- उस भाषा में जिसमें उनकी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो, उससे अन्य भाषा में आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पावधि संविदा सहित)/ विलयनः केन्द्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों के अधिकारी जो मूल संवर्ग/विभाग में सदृश या समकक्ष पद या रुपये 3050-4500 के वेतनमान के पदों पर नियमित पदों पर हों और इस पद के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त हो तथा ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा के और सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता प्राप्त हों । प्रतिनियुक्ति की अवधि:- 1+2 वर्ष ।	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य सचिव	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Gr. III in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. Short Title and commencement.—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. The Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Stenographer Gr.III

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Stenographer Gr.III	5	Group-C	Rs.4000-100-6000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
5	6	7	8	9
Non Selection	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.	Higher Secondary passed or equivalent Speed of 100 w.p.m. in Shorthand & 40 w.p.m. in Typing in English/Hindi Proficiency in Computer.	Yes	2 years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ eputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
(i) 25% by promotion, and (ii) 75% by transfer on deputation intuding short term contract)/ absorption (iii) Failing both by direct recruitment.	Promotion Lower Division Clerks having 3 years regular service in the grade and possessing the following qualification:- Essential:- Speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in Typewriting in English or Hindi and proficiency in computer. Desirable: Speed of 80 words per minute in Shorthand and 30 words per minute in typewriting in the language other than in the language he possesses speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in typewriting & knowledge of computer. **Transfer on deputation(including short term contract)/ absorption :** Officers from the Central or State Government/Public Sector Undertakings, autonomous/statutory bodies holding analogous or equivalent post on regular basis in the parent cadre/department; or posts in the scale of Rs.3050-4500 and possessing the qualifications prescribed for the post and having 3 years regular service in the grade and possessing Educational qualification required for Direct recruits. Period of deputation : 1+2 years. Speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in Typewriting in English or Hindi	1. Director, National Institute of Social Defence- Chairman 2. Dy. Director,(Trg.)- Member 3. Administrative Officer- Member Secretary	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्तूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में कनिष्ठ कंप्यूटर पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(*i*) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के कनिष्ठ कंप्यूटर के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
कनिष्ठ कंप्यूटर	3	समूह 'ग'	रू03050-80-4580	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो
6	7	8	9
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्धारित तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	अनिवार्य:- गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता तथा कंप्यूटर प्रयोग में प्रवीणता । वांछनीय:- संबंधित क्षेत्र मे एक वर्ष का अनुभव	नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. उप निदेशक - अध्यक्ष 2. प्राध्यापक - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. **56/3/2002-Admn.**—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Computer in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Computer

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Junior Computer	3	Group-C	Rs.3050-80-4550

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	**Essential**: Bachelor's degree or equivalent qualification with Mathematics as a subject and proficiency in Computer applications. **Desirable:** One year experience in the related field.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of Selection Committee	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
2 years	By direct recruitment.	Not applicable	1. Dy. Director-Chairman 2. Lecturer-Member 3. Administrative Officer-Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में अवर श्रेणी लिपिक पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के अवर श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
अवर श्रेणी लिपिक	2	समूह 'ग'	रू0 3050-80-4550	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।	1. मैट्रिक या समकक्ष अर्हता, 2. टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति, 3. उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो । टिप्पणी:-(1) टंकण में उक्त अर्हता न रखने वाले व्यक्ति को इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह तब तक वेतनमान में वेतन वृद्धि के लिए स्थायित्व के लिए या ग्रेड में स्थायीकरण के लिए पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता/लेती, तथा टिप्पणी:-(2) किसी विकलांग व्यक्ति, जो अन्यथा कोई लिपिकीय पद पद धारित करने के लिए अर्ह हो परन्तु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता हो, को इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा कोई बोर्ड न हो वहां सिविल सर्जन प्रमाणित करें कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण कर पाने की उपयुक्त स्थिति में नहीं है ।	आयु: नहीं अर्हता: हां	2 वर्ष

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	विभागीय पदोन्नति/चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
1. सीधी भर्ती द्वारा 90%. 2. 10% रिक्तियां उन समूह घ कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जो मैट्रिक है और समकक्ष अर्हता प्राप्त है और जिन्होने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर समूह घ में 5 वर्ष की सेवा कर ली है। परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) है बशर्ते कि इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एक वर्ष में होने वाली अवर श्रेणी लिपिक की रिक्तियों के 10% तक सीमित होगी तथा भरी न गई रिक्तियों को आगे नहीं ले जाया जाएगा।	लागू नहीं	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य सचिव	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub section 4.1 of the Memorandum of Associatioh of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed here.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Lower Division Clerk	2	Group-C	Rs.3050-80-4550

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.	1. Matriculation or equivalent qualifications ; 2. Minimum speed of 30 words per minute in typewriting. 3. Preference will be given to the person having knowledge of Computer. Note: (1) A person not possessing the said qualifications in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting; and Note: (2) A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for Handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.	Age : No Qualification : Yes

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of Departmental Promotion/Selection Committee	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
2 years	1. 90% by direct recruitment 2. 10% vacancies shall be filled from amongst the Group-D staff who are matriculate or possess equivalent qualifications and have rendered 5 years' service in Group-D on the basis of a department competitive examination. The maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes) provided that the maximum number of persons to be recruited by the method shall be limited to 10% of the vacancies of Lower Division Clerks occuring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over.	Not applicable	1. Director, National Institute of Social Defence-Chairman 2. Dy. Director (T) -Member 3. Adinistra-tive Officer- Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में स्टाफ कार ड्राइवर पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों की कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के स्टाफ कार ड्राइवर के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद	क्या सी.सी.एस. (पेंशन)नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य हैं
1.	2.	3.	4.	5.	6.
स्टाफ कार ड्राइवर	2	समूह 'ग'	रू0 3050-80-4500	लागू नहीं	

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य:- i. मोटर कारों/एम.एम.वी.के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो ii. मोटर मेकेनिक का ज्ञान हो, अभ्यर्थी को वाहनों की छोटी-छोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए । iii. किसी मोटर कार/एम.एम.वी. चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव । वांछनीय:- i. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो ii. होम गार्ड/सिविल वालुंटियर्स के रूप में 3 वर्ष की सेवा ।	लागू नहीं	2 वर्ष

2209 GI/2004—14

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति/चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) /पुनः रोजगार/स्थानांतरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्य कार्यालयों के नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') तथा समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर-कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए किसी ड्राइविंग परीक्षा के आधार पर मोटर-कार/एम.एम.वी.के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो अन्यथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पदधारी कर्मचारियों या नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों में से जो कालम 8 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूर्ण करते हों । प्रतिनियुक्ति की अवधि- 1+2 वर्ष । **भूतपूर्व सैनिकों के लिए** सेना बलों के कार्मिकों, जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व को स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो अपेक्षित अनुभव तथा निर्धारित अर्हताएं प्राप्त है, पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिया जाएगा जिस तारीख को वे सेवा बलों से मुक्त होने वाले हों, उसके बाद वे पुनः रोजगार पर बने रहेंगे । (केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य धारित पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	1. निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. उप निदेशक(प्रशिक्षण) - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी - सदस्य अवर सचिव के पद के बराबर का एक बाहरी सदस्य जिसे मोटर मैकेनिक आदि की जानकारी हो ।	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of Added years of service admissible under Rule 30 of CCS(Pension) Rules,1972
1	2	3	4	5	6
Staff Car Driver	Two	Group-C	Rs.3050-80-4590	Not applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promoters	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not exceeding 25 years (relaxable for Government servants upto the age of 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	**Essential:** i) Possession of a valid driving licence for motor cars/M.M.V. ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles). iii)Experience of driving a motor car/MMV for at least 3 years **Desirable:** i) A pass in the 8th standard. ii) 3 year's service as home Guard/Civil Volunteers.	Not applicable	2 years	Transfer on deputation (including short term contract)/Re-employment/transfer failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation/Transfer From amongst the regular Despatch Rider (Group'C') and Group'D' employees in the National Institute of Social Defence and other offices of the Ministry of Social Justice & Empowerment who possess valid Driving license for Motor-Car/MMV on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group'D' employees in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8. Period of deputation : 1+2 years. "**For Ex-Servicemen** **Transfer on deputation/re-employment** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment." (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	- Director NISD- Chairman - Admn. Officer - Member - Dy. Director (T) - Member - One outside Member, who has a knowledge of Motor Mechanic etc. equivalent to the rank of Under Secretary.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल सं. 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में दफ्तरी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के दफ्तरी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
दफ्तरी	4	समूह 'घ'	रु0 2610-65-3300-70-4000	चयनेतर

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	विभागीय पदोन्नति/चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
पदोन्नति द्वारा	ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले चपरासी के ग्रेड से पदोन्नति	समूह - घ विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे: 1. प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान - अध्यक्ष 2. प्राध्यापक/प्रलेखन अधिकारी सदस्य 3. अनुसंधान अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of Sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Daftry in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed here.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Daftry

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Daftry	4	Group-D,	Rs.2610-65-3300-70-4000

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Not applicable	By promotion	Promotion from the grade of Peon with at least 5 years' service in the grade	Group-D Departmental Promotion Committee consisting of 1. Administrative Officer-NISD-Chairman. 2. Lecturer/ Documentation Officer-Member 3. Research Officer-Member	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 को डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में चपरासी पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से कालम 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अतंर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान की छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के चपरासी के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
चपरासी	4	समूह 'घ'	रू0 2500-55-2660-60-3200	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6.	7.	8.	9.
18-25 वर्ष के बीच	वांछनीय: 8वीं पास	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	विभागीय पदोन्नति चयन समिति विद्यमान है तो इसके गठन का स्वरूप क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा 75% तथा स्थानांतरण द्वारा 25%	स्वीपर फराश तथा चौकीदार से जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्हें प्रारंभिक साक्षरता हो तथा हिन्दी या अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकें ।	समूह - घ विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे: 1. प्रशासन अधिकारी अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशिक्षण) सदस्य 3. प्राध्यापक - सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा. संबंधित एक सदस्य	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Peon in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment recruitment rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Peon

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Peon	4	Group-D	Rs.2500-55-2660-60-3200

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Not Applicable	Between 18-25 years	**Desirable** 8th Standard passed	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
2 years	75% by direct recruitment and 25% by Transfer..	Transfer from Sweeper, Frash and Chawkidar who have rendered not less than 5 years service and who possess elementary literacy and give proof of their ability to read either English or Hindi or a Regional Language.	**Group D Departmental Promotion Committee consisting of** 1.Admn. Officer - Chairman 2. Dy. Director (T)- Member 3.Lecturer – Member 4. One member belonging to SC/ST Community.	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Extv./186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2004

मिसिल संख्या 56/3/2002-प्रशासन.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संगम ज्ञापन की उपधारा 4.1 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 की डायरी संख्या 5059 के तहत सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में स्वीपर एवं फ़राश पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (स्वायत्त निकाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भर्ती नियम, 2004 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **प्रयोग.**—ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हता आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के कालमों में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि स्वायत्त निकाय यह समाधान कर लें कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और यह कि ऐसा करने के लिए आधार है तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां स्वायत्त निकाय का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो तो वह आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को छूट दे सकता है।

7. **अपवाद.**—इन नियमों में कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

अनुसूची

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के स्वीपर एवं फ़राश के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या चयनेतर पद
1.	2.	3.	4.	5.
स्वीपर एवं फ़राश	1	समूह 'घ'	रू0 2500-55-2660-60-3200	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6.	7.	8.	9.
18-25 वर्ष के बीच	वांछनीयः प्राइमरी स्कूल स्तर	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	विभागीय पदोन्नति/चयन समिति का गठन	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10.	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	1. प्रशासन अधिकारी अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशिक्षण) सदस्य 3. प्राध्यापक - सदस्य 4. अ.जा./अ.ज.जा.समुदाय से संबंधित एक बाहरी व्यक्ति	लागू नहीं

एस० के० देव वर्मन, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-3/4/असा०/186/04]

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2004

F. No. 56/3/2002-Admn.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of sub-section 4.1 of the Memorandum of Association of National Institute of Social Defence and with the approval of the Secretary to the Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment vide Diary No. 5059 dated 17th October, 2003, the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sweeper-cum-Frash in the National Institute of Social Defence are laid down:—

1. **Short Title and commencement.**—(i) These rules may be called the National Institute of Social Defence (Autonomous body) Ministry of Social Justice & Empowerment Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **The Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the autonomous body may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing with prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM

File No. NISD-1/2/2021-ADMN. DIVISION (Computer No. 44261)
301352/2021/DD-(ADMIN & PLANNING)

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Sweeper-cum-Farash

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Sweeper-cum-Farash	1	Group-D	Rs.2500-55-2660-60-3200

Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
5	6	7	8
Not Applicable	Between 18-25 years	**Desirable** Primary School Standard	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
2 years	By direct recruitment.	Not applicable	1. Admn. Officer - Chairman 2. Dy. Director (T) - Member 3.Lecturer – Member 4. One outside Member belonging to SC/ST Community	Not applicable

S. K. DEV VERMAN, Member Secy.
[ADVT-3/4/Exty./186/04]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Generated from eOffice by VIRENDRA PRASAD, JSA(admin), JSA, NISD on 28/06/2023 03:06 PM